तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/1216/2005/भरतपुर रामस्वरुप बनाम हजारी लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-02-2019	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 9-3-2005 को अपील संख्या 1/2005 अनुवानी हजारी लाल बनाम रामस्वरुप में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी/अप्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के समक्ष निगराकारान के विरुद्ध वादपत्र व उसके साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 का आराजी खसरा नम्बरान 548, 566, 690 किता 3 कुल रकबा 1.23 है0 एवं खसरा नम्बर 449, 549, 556, 570, 662, 632, 662 किता 8 कुल रकबा 3.51 है0 तथा खसरा नम्बर 619 रकबा 0.53 है0 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया (प्रकरण संख्या 92/04)। इसी भूमि बाबत् प्रार्थी/वादी ने भी गैर निगराकारान के विरुद्ध वाद व प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रस्तुत किया। गैर निगराकारान ने अपने वाद के साथ रिसीवरी का आवेदन भी प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 21-12-2004 द्वारा दोनों पक्षों को पाबन्द किया और रिसीवर नियुक्ति के आवेदन को खारिज किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपनी में अविधिक रुप से रिसीवर कायम करने का आदेश पारित किया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि पक्षकारान मनवट के आधार पर अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं और आराजी की किसी प्रकार से वेस्ट, डैमेज, हस्तान्तरण होने की कोई शंका या संदेह नहीं रहा है किन्तु मौका कमिश्नर जैसा कठोर कदम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/1216/2005/भरतपुर रामस्वरुप बनाम हजारी लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रयोग में लिया है। विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर रिसीवर कायम करना न्यायोचित कदम नहीं है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 21–12–2004 को यथावत रखा जाये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है और आपसी सहमति से मनवट के आधार पर काब्जि काश्त में हैं, किन्तु निगराकारान, प्रार्थी/गैर निगराकारान के कब्जे में हस्तक्षेप करते हैं और आराजी को जोतने बोने नहीं देते हैं। अतः मौके पर झगडा होने की आंशंका को देखते हुये एवं आराजी को वेस्ट, डैमेज, एलीनिएट होने से बचाने की दृष्टि से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक रुप से आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया है जो कि एक न्यायोचित आदेश है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सही नहीं है, निगरानी खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय व परीक्षण न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि आराजी खसरा नम्बरान 548, 566, 690 किता 3 कुल रकबा 1.23 है0 एवं खसरा नम्बर 449, 549, 556, 570, 662, 632, 662 किता 8 कुल रकबा 3.51 है0 तथा खसरा नम्बर 619 रकबा 0.53 है0 के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के द्वारा वादपत्र एवं धारा 212 के आवेदन प्रस्तुत किये तथा गैर निगराकारान ने अपने वाद के साथ रिसीवरी का आवेदन भी प्रस्तुत किया था। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 21–12–2004 द्वारा दोनों पक्षों को पाबन्द किया और रिसीवर नियुक्ति के आवेदन को खारिज किया। प्रकरणों के तथ्यों के अनुसार स्पष्ट है कि पक्षकारान प्रश्नगत भूमि के सह खातेदार हैं और पक्षकारान की प्लीडिंग्स के अनुसार दोनों पक्ष मनवट से अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। वादपत्र विभाजन का रहा है और अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/1216/2005/भरतपुर रामस्वरुप बनाम हजारी लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी किया हुआ है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य रिकार्ड पर नहीं रहा है जिससे कि आराजी इन–मीडियो साबित होती हो या उसके वेस्ट, डैमेज, एलीनियेट होने का अंदेशा हो, अतः न्याय दृष्टान्त 2003 आर0आर0डी0 पेज 148 के मतानुसार आराजी इन–मीडियो साबित नहीं होने की स्थिति में रिसीवर नियुक्ति का कदम उचित नहीं है। रिसीवर नियुक्ति एक कठोर कदम है और रिसीवर नियुक्ति की आड में काबिज काश्त व्यक्ति को बेदखल करना उचित कार्यवाही नहीं है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय प्रावधानों के विपरीत होने से, निगरानी **स्वीकार** कर राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 9–3–2005 को पारित निर्णय को निरस्त किया जाता है। उप जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) में पारित आदेश दिनांक 21–12–2004 यथावत बहाल रखा जाता है। प्रकरण बेहद पुराना है और हमारे समक्ष इस आशय की कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है कि पक्षकारान के मूल वाद में क्या कार्यवाही हुई है। अतः यदि पक्षकारान के मूल वाद का निस्तारण हो चुका है तो मण्डल का यह आदेश प्रभावहीन समझा जाए। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	